भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

राज्‍य सभा

तारांकित प्रश्‍न सं0 \*151

23 मार्च, 2012 को उत्‍तरार्थ

**विषय: बीजों के उत्‍पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र को भूमिका**

**\*151 श्रीमती टी. रत्‍नाबाई :**

क्‍या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्‍या सरकार ने बीजों के उत्‍पादन के मामले में गैर-सरकारी क्षेत्र की भूमिका पर जोर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में क्‍या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) ग्‍यारहवीं पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र को दिए गए प्रोत्‍साहनों का राज्‍य ब्‍यौरा क्‍या है ?

**उत्‍तर**

**कृषि मंत्री (श्री शरद पवार)**

**(क) से (ग):** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**दिनांक 23.3.2012 के लिए बीजों के उत्‍पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका संबंधी राज्‍य सभा के तारांकित प्रश्‍न सं0 151 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण ।**

**(क) तथा (ख):** नेशनल सीड्स कारपोरेशन (एनएससी), भारतीय राज्‍य फार्म निगम (एसएफसीआई), स्‍टेट सीड्स कारपोरेशन (एसएससी) आदि के साथ निजी क्षेत्र भी देश में गुणवत्‍ता बीजों के उत्‍पादन, आपूर्ति तथा वितरण में एक महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं । अनाज, तिलहन, दलहन आदि जैसे कृषि फसलोंका बीज उत्‍पादन अधिकांशत: सरकार द्वारा लिए गए बीजों कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जबकि निजी क्षेत्र बीज कंपनियां मक्‍का, संकर, धान, सूरजमुखी आदि जैसे सब्‍जियों, कपास तथा कृषि फसलों के बीजों का प्रमुख रूप से उत्‍पादन कर रही है । 2011-12 के दौरान, देश में प्रमाणित/गुणवत्‍ता बीजोंको उत्‍पादन353.62 लाख क्‍विंटल के आस-पास पहुंच गया है, जिसमें से 51 प्रतिशत उत्‍पादन सरकारी एजेंसियों से तथा 49 प्रतिशत उत्‍पादन निजी तथा बीज कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है ।

गुणवत्‍ता बीजों के उत्‍पादन के लिए निजी क्षेत्र कंपनियों सहित निम्‍नलिखित को शामिल कर बीज कंपनियों की भूमिका को प्रोत्‍साहित तथा उन्‍नत करने के लिए सरकाकर द्वारा कदम उठाए गए हैं :

i बीजों से संबंधित विद्यमान नीति के अंतर्गत, विश्‍व में उपलब्‍ध सर्वोत्‍तम पौध रोपण सामग्री, निजी/सार्वजनिक कंपनियों द्वारा संगरोधविनियमन के लिए निर्यात के लिए अनुमत्‍य है।

ii विशेष परिस्‍थितियों के मामले में बीजों के विकास तथा उत्‍पादन तथा पौध रोपण सामग्री के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक एफडीआई अनुमत्‍य है ।

iii बीज कंपनियों को बीजों पर वेट के भुगतान से छूट दी गई है ।

iv आईटी अधिनियम के धारा 35 के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा अधिसूचित आर एवं डी केन्‍द्रों वाले बीज उद्योगों के लिए कटौती के रूप में आर एवं डी पर व्‍यय का 200 प्रतिशत अनुमत्‍य है ।

v ‘गुणवत्‍ता बीजों के उत्‍पादन तथा वितरण के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास तथा सुदृढ़ीकरण’ के केन्‍द्रीय क्षेत्र स्‍कीम के अंतर्गत, बीज प्रसंस्‍करण तथा बीज भंडारण सुविधाओं जैसे बीज अवसंरचना के निर्माण हेतु निजी कंपनियों के लिए पश्‍च छोर सब्‍सिडीका प्रावधान है ।

**(ग):** वर्ष 2005-06 के बाद से क्रियान्‍वयन के अंतर्गत केन्‍द्रीय क्षेत्र स्‍कीम ‘गुणवत्‍ता बीजों के उत्‍पादन तथा वितरण के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास तथा सुदृढ़ीकरण’ के तहत ‘’निजी क्षेत्र में बीज उत्‍पादन को बढ़ाने के लिए सहायता’’ नामक निजी क्षेत्र संबंधी एक विशेष घटक का क्रियान्‍वयन किया जा रहा है । इस घटक के अंतर्गत, बीज अवसंरचना विकास जैसे बीज प्रसंस्‍करण इकाईयों के साथ सरकार के प्रयत्‍नों को पूरा करने के लिए बीज भंडारण सुविधाओं पर 25.00 लाख रू0 की अधिकतम सीमाके लिए परियोजनालागत विषय के 25 प्रतिशत की दर से पाश्‍व घोर पूंजी सब्‍सिडी प्रदान की जाती है, जिससे गुणवत्‍ता बीज को किसानों के लिए बीज को किसानोंके लिए बीज को उपलब्‍ध कराया जा सके । निजी क्षेत्र कंपनियां विशिष्‍ट उद्यमी स्‍वयंसहायता समूह, बीज सहकारिताएं तथा सहभागी फर्म ऐसी सब्‍सिडी के लिए पात्र है । इस घटक के क्रियान्‍वयन हेतु नेशनल सीड्स कारपोरेशन नोडल एजेंसी है । 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2008 से 2011-2012, 31.1.2012 तक) के लिए प्रस्‍तावों का राज्‍य-वार ब्‍यौरा अनुबंध ‘क’ में दिया गया है ।

**अनुबंध –क**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | राज्‍य | प्रस्‍तावों की सं0  | प्रसंस्‍करण क्षमता (क्‍विं.) | भंडारण क्षमता (क्‍विं.) | निर्मुक्‍त/वचनवद्ध राजसहायता (रू0 में)  |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 42 | 1060000 | 308229 | 52177154 |
| 2 | बिहार | 1 | 10000 | 5739 | 756826 |
| 3 | गुजरात | 17 | 280000 | 188782 | 15872815 |
| 4 | हरियाणा | 29 | 557500 | 166029 | 22255240 |
| 5 | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | कर्नाटक | 11 | 250000 | 81936 | 11619007 |
| 7 | मध्‍य प्रदेश | 7 | 125000 | 64919 | 4893836 |
| 8 | महाराष्‍ट्र | 13 | 221500 | 112939 | 13437047 |
| 9 | उड़ीसा | 5 | 100000 | 37983 | 4927323 |
| 10 | पंजाब | 33 | 660500 | 273316 | 27309205 |
| 11 | राजस्‍थान | 11 | 230000 | 62388 | 7249808 |
| 12 | तमिलनाडु | 25 | 325000 | 155074 | 11476832 |
| 13 | उत्‍तर प्रदेश | 49 | 835000 | 108227 | 43434954 |
| 14 | उत्‍तरांचल | 35 | 720500 | 153476 | 38449763 |
| 15 | पश्‍चिम बंगाल | 13 | 310000 | 200819 | 17448696 |
| 16 | दिल्‍ली | 1 | 30000 | 2851 | 712195 |
|   | **कुल :** | **292** | **5715000** | **1922707** | **272020701** |